राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालूराम बनाम गोगाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/2026	1998/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 12 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी ग्राम कुड़ियों की ढाणी प.ह. आकोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में प्रार्थीगण के कब्जें काश्त की आराजी खं.नं. 461 है जिसमें काश्त है एवं पुख्ता कच्चे पक्के मकान बने हुये है जिसमें आने जाने का केवल मात्र रास्ता खं.नं. 464 में है जो कि खं.नं. 466 गै.मु. रास्ता है जिसमें कृषि कार्य व स्वंयम के आने जाने के लिए एवं कृषि कार्य हेतु टैक्टर ट्राली लाने ले जाने हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता भूमि खं.नं. 464 के दक्षिणी सींव पर 30 फुट चौड़ा रास्ता जो सबसे नजदीकी एवं सुगम रास्ता है जो संलग्न नक्शें में डोटेड कर दिया गया है दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है इसके लिए तहसीलदार फुलेरा से रास्तें के सम्बन्ध में मय डीएलसी रेट की रिपोर्ट मंगवायी जाकर राजस्व नक्शें में रास्ता अंकित किये जाने के आदेश अताः फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उप धारा (1) का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये	तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28/10/2025 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किया गया हो कि कोई प्रति उपलब्ध ही नही है, ऐसेमें अपीलार्थी की तामील होना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार प ाय किया गया, स्पष्ट नही होता है	ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस की ताईद होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना दिये बगैर ही एवं उनकी तामील करवाये बगैर ही प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वास्तविक तथ्यों के विपरित एकपक्षीय तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बालूराम बनाम गोगाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1998/2026		

से रास्ता कायम किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारि अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुती एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/10/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत एवं न्यायसंगत निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर